



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 319 राँची, बुधवार, 20 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
10 जून, 2026 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

संकल्प

10 जून, 2026

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना “PM SETU- PRADHAN MANTRI SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIs” के Component I- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) के संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के द्वारा राज्य के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार का बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में राज्य में कुल 79 सरकारी एवं 290 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं; जिनमें कुल 27 तकनीकी एवं 08 गैर तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बदलते परिदृश्य में उद्योगों की मांग के अनुसार उन्नयन करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 2024-25 के बजट अभिभाषण में देश के व्यवसायिक

प्रशिक्षण के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए “PM SETU-PRADHAN MANTRI SKILLING & EMPLOYABILITY TRANSFORMATION THROUGH UPGRADED ITIs” योजना की घोषणा की गयी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2047 तक “विकसित भारत” के लक्ष्य के अनुरूप देशभर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को Aspirational Skilling Institutes के रूप में उन्नत करना है।

PM SETU योजना के दो Component हैं:-

Component I - Upgradation of 1000 ITIs in Hub-and-Spoke Clusters

Component II - Capacity Augmentation of five National Skills Training Institutes (NSTIs).

राज्य में Component I - Upgradation of 1000 ITIs in Hub-and-Spoke Clusters के अन्तर्गत चयनित कुल 7 अधिकतम Hub एवं संलग्न Spoke औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाना है।

इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है

- i) योजनान्तर्गत Hub-and-Spoke व्यवस्था के तहत चयनित प्रत्येक Hub ITI के साथ अधिकतम 4 Spoke ITI संलग्न होंगे एवं योजनान्तर्गत सभी संस्थान अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित किये जाएंगे।
- ii) Hub-and-Spoke व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन, प्रबंधन तथा Outcome based प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय Anchor Industry Partner (AIP) की अध्यक्षता में Special Purpose Vehicle (SPV) का गठन किया जाएगा।
- iii) बदलते तकनीकी परिदृश्य में चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सृजित कुशल कारीगरों की मांग के अनुरूप रोजगार क्षमता में सुधार के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव किया जायेगा।
- iv) Hub ITIs में अधिकतम 4 नए Industry 4.0 आधारित व्यवसायों की शुरुआत और पूर्व से संचालित 10 व्यवसायों का उन्नयन किया जाएगा। वहीं Spoke ITIs में अधिकतम 2 नए व्यवसायों की शुरुआत और पूर्व से संचालित 8 व्यवसायों का उन्नयन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में उद्योगों की उपस्थिति कम है वहाँ Service Sector Courses, Multi Skill Courses एवं आजीविका संवर्धन (Livelihood Promotion) से संबंधित Courses की शुरुआत की जाएगी।
- v) Hub ITIs में अत्याधुनिक भारी मशीनों एवं उपकरणों का अधिष्ठापन कर ITI छात्रों के अतिरिक्त अन्य Graduates एवं Working Professionals के लिए Specialized short Term courses एवं Executive Education program की शुरुआत की जाएगी। साथ ही Hub ITIs में Training of Trainers (TOT) की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
- vi) Hub-and-Spoke Clusters की Mapping, Real Time Data Capture (वास्तविक समय में डाटा संग्रह) Artificial and Virtual Reality (AR/VR) सहित Digital शिक्षण के अवसर, Simulation एवं National Database तथा Skill India Digital Hub (SIDH) के साथ Linkage के लिए एक Digital Interface एवं Learning Outcome Management System (LOMS) विकसित किया जायेगा।
- vii) Hub-and-Spoke ITIs के लिए तैयार किए जाने वाले उन्नयन योजना के कार्यन्वयन प्रबंधन हेतु प्रबंधकीय स्तर पर कार्यरत मानव बल प्रशिक्षकों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन

योजना (Human Resource Plan) तैयार करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा इस प्रशिक्षण के लिए उन्नत परिणाम हेतु बेहतर मानव संसाधनों (Better HR Practices) को अपनाया जाएगा।

- viii) Hub-and-Spoke Cluster में Student Service को Enhance किया जाएगा, जिसमें प्लेसमेंट सेवाएँ और उद्योगों से सम्पर्क, परामर्श, Remedial Classes, Extra curricular activities, life skill training, apprenticeship and On-the-Job Training (OJT) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क तय करते हुए Hub ITIs में Production centers, Incubation centers जैसी सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।

योजना के अन्तर्गत भाग लेने वाले ITIs/Anchor Industry Partner (AIP) हेतु पात्रता मानदंड:-

ITIs

योजना के अन्तर्गत ITIs के चयन मानदंड उद्योगों के परामर्श से तय किया जायेगा, जिससे उभरती कौशल आवश्यकताओं, स्थानीय औद्योगिक क्षमता एवं राज्य तथा Stakeholders दोनों के सहयोगात्मक स्वामित्व के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। इस योजनान्तर्गत केवल सरकारी ITIs का उन्नयन किया जायेगा।

Anchor Industry Partner (AIP)

योजना में AIP हेतु निम्नलिखित संस्थाएँ भाग ले सकती हैं:-

1. विश्वसनीय उद्योग/ निर्माता कम्पनियाँ (PSU सहित)
2. उद्योग संघ या Consortium
3. कॉर्पोरेट CSR/ फाउंडेशन
4. उद्योग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान (कॉर्पोरेट विश्वविद्यालय/सेक्टर स्किलिंग संस्थान)।

Anchor Industry Partner (AIP) का चयन RFP के माध्यम से किया जायेगा। राज्य द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या आदि तय की जाएगी। योजना का उद्देश्य Credible Industry Partners को शामिल करना है।

2. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण

प्रत्येक Hub & Spoke Cluster का संचालन चयनित Section 8 Company जो कि Anchor Industry Partner (AIP) होगी, की अध्यक्षता में Special Purpose Vehicle (SPV) गठन करते हुए किया जायेगा। Special Purpose Vehicle में कुल 11 सदस्य होंगे एवं इसे Company Act. 2013 के अन्तर्गत निबंधित किया जायेगा। Special Purpose Vehicle का नेतृत्व AIP के द्वारा किया जायेगा। SPV चयनित Hub & Spoke Cluster के उन्नयन, कार्यान्वयन प्रबंधन एवं Maintenance के लिए उत्तरदायी होगा। योजना का संचालन, योजना से संबंधित वित्त, प्रशिक्षण, Infrastructure, Security, रोजगार परिणामों की जिम्मेदारी भी SPV की होगी।

योजनान्तर्गत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन प्रतिष्ठित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर किया जाएगा। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित State Steering Committee (SSC) जिसमें सरकारी विभागों के पदाधिकारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे, के द्वारा की जाएगी। योजनान्तर्गत SSC द्वारा RFP के माध्यम से AIP का चयन किया जायेगा।

SSC राज्य स्तर पर योजना के मार्गदर्शन निगरानी के लिए शीर्ष निकाय होगी। यह केन्द्र-राज्य-उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने वाली मुख्य समिति होगी। SSC के मुख्य कार्यों में Cluster Level के Strategic Investment Plan (SIP) की समीक्षा एवं अनुशंसा करना, Annual Operational Plan (AOP) अनुमोदित करना, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना, विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उद्योग, एवं शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना, कार्यान्वयन की बाधाओं का समाधान करना, National Steering Committee (NSC) को प्रगति Report/ सुझाव प्रेषित करना एवं वित्तीय अनुरोध भेजना तथा राज्य में योजना की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध एवं परिणाम आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है।

3. योजना के वित्तीय पहलू (Indicative Expenditure)

PM SETU योजना के प्रावधानानुसार केन्द्र, राज्य एवं उद्योग जगत की प्रतिशत भागीदारी क्रमशः 50%, 33% एवं 17% होगी। प्रत्येक स्वीकृत Hub-and-Spoke Cluster के SPV द्वारा Scheduled Commercial Bank (SCB) में Escrow Account का संचालन किया जायेगा जिसमें केन्द्र, राज्य तथा उद्योग द्वारा अपनी हिस्सेदारी से संबंधित राशि उपलब्ध कराये जाने पर SPV द्वारा उक्त राशि का उपयोग किया जा सकेगा। Escrow व्यवस्था के अन्तर्गत योजना की राशि केवल Cluster के उन्नयन कार्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी।

प्रस्तावित योजना की अवधि 5 वर्ष की है, जिसमें वर्षवार प्रति Hub & Spoke Cluster पर संभावित व्यय निम्नवत् हैं:-

Sl.No.	Item	Total Cost (INR)	Central	State	Industry
1	Upgradation of 1 Hub ITI (avg).	81 Cr per ITI	40 Cr	30 Cr	11 Cr
2	Upgradation of 1 Spoke ITI (avg).	40 Cr per ITI	18 Cr	17 Cr	5 Cr
3	1 Hub+4 Spokes (Cluster Total)	241 Cr per cluste	112 Cr	98 Cr	31 Cr
4	Annual cost for one cluster	48.2 Cr per year	22.4 Cr	19.6 Cr	6.2 Cr

अनुमानित व्यय का आकलन RFP के माध्यम से चयनित Cluster की संख्या के आधार पर होगा। झारखण्ड राज्य को अधिकतम 7 Cluster प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार 7 अधिकतम Cluster का चयन किये जाने पर 5 वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष कुल केन्द्रांश ₹0 22.4x7=156.8 करोड़, राज्यांश ₹0 19.6x7=137.2 करोड़ एवं Anchor Industry Partner (AIP) भागीदारी ₹0 6.2x7=43.4 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार योजना की कुल अवधि में प्रतिवर्ष अधिकतम ₹0 137.2 करोड़ एवं 05 वर्ष में राज्यांश का वित्तीय भार अधिकतम ₹0 137.2x5=686 करोड़ होगा।

4. योजनान्तर्गत निम्न बजट शीर्ष से राशि विकलनीय होगी:-

मांग संख्या:-		26
विभाग का नाम:-		श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
मुख्य शीर्ष:-	2230	श्रम, नियोजन, तथा कौशल विकास विभाग
उप मुख्यशीर्ष:-	03	प्रशिक्षण
लघु शीर्ष:-	003	शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
उपशीर्ष का नाम:-	55	पी0एम0 सेतु न्यु आई0टी0आई0 अपग्रेडेसन / PM SETU New ITI Upgradation

मांग संख्या:-		26
विभाग का नाम:-		श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
मुख्य शीर्ष:-	4250	(अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय)
उप मुख्यशीर्ष:-	00	
लघु शीर्ष:-	203	रोजगार
	789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
	796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
उपशीर्ष का नाम:-	13	पी0एम0 सेतु न्यु आई0टी0आई0 अपग्रेडेसन(पूँजीगत)/ PM SETU New ITI Upgradation (Capital)

योजनान्तर्गत सन्निहित राशि का बजटीय उपबंध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चयन के उपरान्त किया जायेगा। राज्य हेतु निर्धारित अधिकतम 7 Cluster से कम संख्या में Cluster अनुमोदित होने पर समानुपातिक रूप में राशि हेतु बजटीय उपबंध किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी SNA SPARSH प्रणाली के अन्तर्गत अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में की जाएगी।

6. योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा PM-SETU योजना के Guidelines के अनुरूप एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभागीय संलेख ज्ञापांक-606, दिनांक 25.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद संख्या-32 में दी गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव,

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

झारखण्ड, राँची।
